न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 705–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–01–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 264/अपील/2006–07.

———

प्रहलाद सिंह आत्मज श्री मॉगीलाल
निवासी ग्राम मोगरा फूल तहसील व जिला सीहोर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–केशरबाई विधवा हेमराज व्यस्क,
2–दिलीप आत्मज स्व.श्री हेमराज व्यस्क,
3–धनराज आत्मज स्व.श्री हेमराज व्यस्क,
तीनों निवासी ग्राम मोगरा फूल तहसील व जिला सीहोर म.प्र.

.....अनावेदकगण

———

श्री नरेन्द्रसिंह ठाकुर, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक,–अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/7/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 24–1–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार सीहोर के न्यायालय में संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम

मोगराफूल स्थित भूमि खाता कमांक 36 खसरा कमांक 223/4 रकबा 2.000 हे. मिश्रीबाई बेवा लालजीराम को शासन द्वारा पटटे पर दी गई थी, उनकी मृत्यु दिनांक 1–8–2003 को हो गई है अतः भूमि का फौती नामान्तरण उसके नाम किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 38/अ–6/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 7–3–2005 के द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किये गये । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकपक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी सीहोर द्वारा प्रकरण कमांक 18/अपील/1006–07 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 12–3–2007 द्वारा अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–07 से परिवेदित होकर अनावेदक पक्ष द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 264/अपील/2006–07 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 24–1–2011 से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में मिश्रीबाई के सभी हितबद्ध पक्षकारों को सनुवाई का अवसर देकर प्रकरण में विधिसंगत आदेश पारित किया जाये । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2011 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार गोदनामे की कार्यवाही पूर्ण होने पर गोदनामा पूर्ण माना जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा साक्षियों के कथन कराये गये है, जिसमें साक्षीगणों ने यह कथन दिये है कि गॉव में गोदनामें की रस्म गॉववालों के समक्ष अदा की गई थी, इसलिये आवेदक की ओर से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया गया है जिसे नजर अंदाज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में इश्तहार जारी किया गया था जिस पर से बाबूलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि जहॉ ग्राम मोगराफूल में जमीन स्थित है और

जहॉ अनावेदकगण निवास करते हैं, वहॉ भी इश्तहार चस्पा किया गया था, परन्तु अनावेदकगणों ने तहसीलदार न्यायालय में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः तहसीलदार द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था, इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है, जिसे निरस्त किये जाने के कोई विधिक आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक का नामान्तरण मृतक भूमिस्वामी मिश्रीबाई द्वारा उसे गोद लेने के आधार पर किया गया है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्वसीयत स्त्री की मृत्यु के पश्चात् उसके निसंतान परित्यक्ता होने पर उसके पिता के वारिसानों को पात्रता आती है । ऐसी स्थिति में मिश्रीबाई के तीनों भाईयों को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर सुनना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी मिश्रीबाई के वारिसानों के संबंध में न तो कोई जानकारी प्राप्त की गई है और न ही उन्हें कोई सुनवाई का अवसर दिया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रकरण मिश्रीबाई के सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है क्योंकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करना विधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा संहिता की 109 व 110 के अन्तर्गत बने नामान्तरण नियमों का पालन किये नामान्तरण आदेश पारित किया गया है इसलिये भी उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये

जाने योग्य नहीं है कि आवेदक को मिश्रीबाई द्वारा गोद लिया गया है और गोदनामे को तहसील न्यायालय में प्रमाणित भी किया है, कारण जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को बिना पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर दिये आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है और बिना हितबद्ध व्यक्तियों की सुनवाई के गोदनामा प्रमाणित नहीं माना जा सकता है । उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् इश्तहार का प्रकाशन किया गया है और उनके समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई क्योंकि संहिता की धारा 109, 110 के नामान्तरण नियमों के अन्तर्गत केवल इश्तहार प्रकाशन आवश्यक नहीं है, बल्कि नियम 27 के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दिया जाना आवश्यक है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 24–1–2011 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर